



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1543/TN/2/2023-ESDW

दिनांक: 19.04.2023

श्रीमति आर. ललिता,
निदेशक,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय चैनई,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीओटीई),
53, सरदार पटेल रोड, गिंडी,
चेन्नई -600025 (तमिलनाडु)
E-Mail:dotedirector@gmail.com


प्रो. टी. जी. सीताराम,
अध्यक्ष,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली,
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज,
नई दिल्ली -110067 (दिल्ली)
E-Mail:chairman@aicte-india.org

विषय: ऐरिस पोलोटेक्निक कोलेज, कुड्डालोर, तमिलनाडु द्वारा मूल प्रमाण पत्र ना देने व फीस के मामले में शोषण किए जाने के संबंध में श्री दिलीप कुमार सोय, ग्राम- बी. एस. एल. झोपड़ी कॉलोनी, नियर राधा कृष्ण मंदिर, पोस्ट सीवनहीड, थाना माराफारी, बी. एस. सिटी-10, जिला बौकारो, झारखंड का दिनांक 05.12.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री दिलीप कुमार सोय से दिनांक 05.12.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(डॉ. जयंत सरोदे)
निदेशक

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री दिलीप कुमार सोय,
ग्राम- बी. एस. एल. झोपड़ी कॉलोनी, नि
यर राधा कृष्ण मंदिर, पोस्ट सीवनहीड,
थाना माराफारी, बी. एस. सिटी-10,
जिला बौकारो, झारखंड

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।